

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या /2021

वादी :-

~~मोपाराम पुत्र सोनाराम~~  
~~कौम जाट निवा लाहौर~~

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

~~शंकरलाल पुत्र सोनाराम~~

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरुस्ती

उपस्थिति :- 1. श्री ~~मोपाराम~~ स्वयं वादी।  
2. श्री ~~शंकरलाल~~ प्रतिवादीगण



निर्णय

दिनांक :- 11-10-2021

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं 346/28 रकबा 28-02 बीघा, सरहद मौजा लाहौर तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम इन्द्राज होने से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड संख्या 216529253038 जन आधार कार्ड संख्या X मतदाता परिचय पत्र संख्या एसएसबी/0351668 राशन कार्ड संख्या 008725100132 मोपाराम दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी ने राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज इन्द्राज के स्थान पर मोपाराम सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जवाबदावा पेश कर  
वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का  
बचपन नाम ह. क. म. र. म. के स्थान पर सो. प. र. म.  
दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच त. ह. सी. ल. द. र. प. च. म. द. र.  
तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया  
जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया  
कि खेत खसरा नं 346/28 रकबा 28-02  
बीघा, सरहद मौजा ख. अ. र. म. तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में  
लाड-प्यार का नाम ह. क. म. र. म. दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में  
प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात् अन्य सरकारी व अन्य अर्द्धसरकारी दस्तावेजों सरपंच ग्राम  
पंचायत रामसीन एवं तहसीलदार प. च. म. द. र. की जांच रिपोर्ट के अवलोकन  
स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम ह. क. म. र. म. दर्ज किया गया है  
वादी का सही नाम सो. प. र. म. है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने  
में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर  
तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं  
346/28 रकबा 28-02 बीघा, सरहद मौजा ख. अ. र. म.  
वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ह. क. म. र. म. पुत्र सो. प. र. म.  
के स्थान पर सो. प. र. म. पुत्र सो. प. र. म. खातेदार घोषित किया  
जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व  
रेकॉर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।  
निर्णय आज दिनांक 11-10-2021 को कोर्ट केम्प कोर्ट सो. प. र. म. में मजमे  
आम में सुनाया गया।



(निर्देश सोनी)  
कोर्ट